न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या पुराने 46/2023

राजकुमार पुत्र राधाकिशन जाति साही निवासी वार्ड नम्बर 6 गण्डावा जाति तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रार्थी

वनाम

1. गिरधारीलाल पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 5 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
2. किशोरीलाल पुत्र नानूराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड नम्बर 5 मण्डावा 2 तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
3. नरेन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद जाति माली निवासी यार्ड नम्बर 7 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
4. रेखा पत्नी बालकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 22 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
5. बनवारीलाल भादूपोता पुत्र दुर्गादत जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर ४ मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
6. किशोरीलाल पुत्र रामकुमार जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 3 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
7. प्रताप सिंह दुलड पुत्र पूर्णमल दुलड जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 24 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
8. केशरी देवी पत्नी रामकुमार जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 3 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
9. श्रवण कुमार पुत्र रामकुमार जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 3 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
10. ललीता देवी पुत्री रामकुमार जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 3 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
11. भंवर कंवर पत्नी भीमसिंह जाति राजपूत निवासी डाबडी तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
12. किरण देवी पत्नी बनवारीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी वार्ड नम्बर 8 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
13. जगदीश प्रसाद पुत्र गोमाराम जाति खाती निवासी वार्ड नम्बर 6 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
14. प्रहलादराम पुत्र गोमाराम जाति खाती निवासी वार्ड नम्बर 6 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

15. मन्जू देवी पत्नी धनराज जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 6 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
16. लूणाराम पुत्र जिला सीकर। नारायणराम जाति जांगिड निवासी डाबडी तहसील फतेहपुर
17. संजू देवी पत्नी इन्द्राज जाति माली निवासी वार्ड नम्बर 23 मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)
18. सरोज देवी पत्नी लालचन्द जाति माली निवासी वार्ड नम्बर तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.) 23 मण्डावा
19. बैंक ऑफ बडौदा शाखा मण्डावा जरिये शाखा प्रबंधक।
20. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावा जरिये शाखा प्रबंधक।
21. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा मण्डावा जरिये शाखा प्रबंधक ।
22. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार महोदय मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू (राज.)

प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

निर्णय दिनांक 02.01.2025

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है ग्राम मण्डाया तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 89 जिसके खरारा नम्बर 939 रकबा 4.35 हेक्टर खसरा नम्बर 966 रकबा 1.99 हेक्टर, खसरा नम्बर 968 रकबा 3रू55 हेक्टर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 9.89 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 13 लगायत 19 की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है।प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 939, 966 व 968 से एक रास्ता उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के खेत खसरा नम्बर 938 व 2151/938 की सींव से होकर अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 खेत खसरा नम्बर 934 तथा अप्रार्थी संख्या 5 के खेत खसरा नम्बर 2142/934 के खेत की सींव से होते हुये उत्तर दिशा में अप्रार्थी संख्या 6 व 7 के खेत खसरा नम्बर 933 तथा अप्रार्थी संख्या 8 लगायत 12 के खेत खसरा नम्बर 2134/933 की सींव में से डोटेड रास्ते में जाकर मिलता है। जो कि काफी प्रचलित एवं कदीमि रास्ता है जिसका उपयोग उपभोग प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 12 लगायत 18 करते आ रहे है। जो कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 12 लगायत 18 के खेत में आने जाने का एक मात्र निकटतम रास्ता है उसके अलावा प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 939, 968 व 966 में आने के लिए कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। चूंकि प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग कई वर्षो से करते आ रहे है इसलिए यह एक प्रचलित रास्ता बन गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 ने उक्त रास्ते को बंद करना चाहते है जिसे बंद करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। उक्त रास्ते बाबत नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जा रहा है जो कि प्रार्थना पत्र का भाग है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ पढा जावें।प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित रास्ते का उपयोग उपभोग प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 12 लगायत 18 कई वर्षो से करते आ रहे है इसके अलावा प्रार्थी के पास कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। इसलिए नजरीनक्शे में दर्ज अनुसार कटानी रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित में न्यायोचित है। नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र का भाग है जिसे प्रार्थना पत्र के साथ पढ़ा जावें।दिनांक 27/06/2023 को प्रार्थी ने उक्त अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

से साफ इन्कार कर दिया और प्रार्थी को उक्त रास्ते से आने से रोक दिया तब इस बाबत प्रार्थीगण ने तहसीलदार महोदय मण्डावा से सम्पर्क किया तहसीलदार महोदय ने उक्त रास्ते की कटामी हेतु करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना मैं उक्त रास्ते की कटामी नहीं कर सकता हूँ। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।अप्रार्थी संख्या 19 लगायत 21 के यहां भूमि रहन होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 22 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 939, 968 व 966 में से आने जाने हेतु प्रार्थना पत्र की धारा 2 में वर्णित तथा नजरी नक्शे में दर्ज अनुसार 20 फिट कायम रास्ता कटामी किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलबाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उत्तर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मण्डावा से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदकगण संख्या 04,08,09,10 15 से 22 बाद तामिल के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अनावेदक सख्या 03, 05, 07 11 लगायत 14 स्वयं उपस्थित तथा कोई जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया ।अनावेदक संख्या 06 स्वयं उपस्थित हुए इकबालिया जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया । अनावेदक संख्या 01 व 02 की ओर से जरिये वकील ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया यह कि र्थना पत्र की धारा 1 स्वीकार है।प्रार्थना पत्र की धारा 2 अस्वीकार हे प्रार्थी ने अपने खेत में जो रास्ता बताया गया है। यह गलत है तथा प्रार्थना पत्र के साथ जो नजरी नक्शा दर्शीत किया गया है। यह भी गलत रूप से अंकित किया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी कृषि भूमि का विभाजन कर रखा है। जिसमें उन्होने प्रार्थी के आने–जाने के लिए मौके पर रास्ता छोड रखा है। जीसका उपयोग प्रार्थी करता है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 12 लगायत 18 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 से द्वेषता रखते है अप्रार्थी की भूमि पर मौजूद रास्ते को छोड कर की गई तार बन्दी को आए दिन तोड देते है। अप्रार्थी 1 व 2 ने अपनी भूमि पर रास्ता छोड रखा है। अगर मौजूद चौडाई का रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कोई आपती नही है।प्रार्थना पत्र की धारा 3 अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थना पत्र के साथ जो नजरी नक्शा अंकित किया गया है। यह गलत है मौके पर जीस प्रकार से रास्ता खुला है। वैसा अंकित नहीं किया गया है। मौके पर प्रार्थी के आने–जाने के लिए जिसको अप्रार्थी सख्या ने कभी भी बन्द नहीं किया है मौके पर प्रचलित रास्ते के अनुसार प्रार्थी को मौजूदा चौडाई का रास्ता दिया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को किसी भी प्रकार की आपति नही है। प्रार्थना पत्र की धारा 4 अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 मैं मौके पर प्रचलित रास्ते को कभी बंद नहीं किया है प्रार्थी ने झुठे तथ्यो पर पेश कर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। मौके पर प्रचलित रास्ता खुला है। उस रास्ते के अनुसार प्रार्थी को मौजूदा चौडाई का रास्ता दिया जाता है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को किसी भी प्रकार की आपति नहीं है।अतरिक्त उत्तरः–उक्त प्रार्थना पत्र में ग्राम मण्डावा मे खसरा नं. 933, 934, 938, 2151/938 में प्रार्थी ने जो रस्ता बताया है जो गलत रूप से दर्शाया गया है। तथा प्रार्थना पत्र के साथ जो भी नजरी नक्शा पेश किया है। अप्रार्थी संख्या व 2 ने अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 938 व 2151/938 का विभाजन कर रखा है। विभाजन के समय ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने दोनो खसरा संख्या के मध्य प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 12 लगायत 18 की कृषि भूमि खसरा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

संख्या 968, 939 व 966 में जाने के लिए रास्ता छोड़ रखा है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने रास्ते को छोड़ कर अपने कृषि भूमि पर तार बंदी कर रखी है। प्रार्थी व अप्रार्थी से इरच्या रखता है। व प्रार्थी की तार बन्दी को खराब कर देता है मौके पर प्रार्थी के खेत में जाने के रास्ता खुला हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने कभी रास्ता बंद नहीं किया है। मौके पर प्रचलित रास्ते को प्रार्थी को दिया जाता है तो अप्रार्थी सख्या 1 व 2 को कोई आपति नही है। मौके पर मौजूद चौडाई का रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को कोई आपति नही है।अतः जबाब प्रार्थना पत्र मे शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके प्रचलित रास्ते के अनुसार मौजूद चौडाई का रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है तो अप्राथर्थी संख्या 1 व 2 को काई आपति नही है।

तहसीलदार मण्डावा से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 369 दिनांक 17.05.2024 के द्वारा पटवार मण्डल मण्डावा के खसरा न. 939, 966, 968, किता–3 रकबा 9.89 हेक्टर का मौका देखा गया। प्रार्थी द्वारा चाहा गए रास्ते का मौका निरीक्षण किया गया। जो कि 2142/934 व 934 के मध्य सीमा से होकर खसरा न. 938 व 2151/938 के मध्य से होकर खसरा न 939 व 968 की उतरी सीमा को मिलता है। यह प्रचलित रास्ता आपसी सहमति पर चालू है जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज डबल डॉटेड रास्ते से निकल कर खसरा न. 939 व 968 तक है। जो कि खसरा न. 2142/934 की पश्चिम 2151/938 व 938 की मध्य सीमा से 144 मी. पर चालू है। 2151/938 की सीमा पर लगभग 18 मीटर तक रास्ता बंद है। अलावा अन्यत्र रास्ता जो प्रार्थी के खेत खसरा न. 939 की उतरी मी की दूरी पर राजस्व रिकॉर्ड में डबल डॉटेड रास्ता मौके पर संलग्न रिर्पोट में नजरी नक्शा अनुसार नजदीकी रास्ता दिया सीमा से 192 मी. लगभग द जबकि खसरा न. 934 व प्रार्थी के चाहे गए रास्ते के पश्चिम सीमा से लगभग 55 स्थाई रूप से चालू है। अतः जाना उचित प्रतीत होता है

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। अभिभाषक आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराह हुए निवेदन किया कि तहसीलदार मण्डावा बिसाऊ की रास्ता मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता कायम करने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया । वकील अनावेदक ने आवेदक वकील के तथ्यो को विरोध दर्ज कराते हुए निवेदन किया किया आवेदक के पहले से मौके पर प्रचलित रास्ता मौजुद है। अतः प्रार्थना मय हर्जे खर्चे के खारीज फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पष्ट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व किया गया है–

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रश्नगत प्रकरण में आवेदक के खेत ख.न. 939,968व 966 में पहुंच बाबत खसरा न. ख.न. 2142/934,934 2151/938 में से रास्ता चाहा गया है । तहसीलदार मण्डावा की रिपोर्ट के अनुसार ख. न. 2142/934 एवं 2151/938 में से चाहा गया रास्ता प्रचलित है तथा मौके पर चालू है। ख.न. 934 व 2151/938 की सीमा पर 18 मीटर तक रास्ता बन्द है। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मण्डावा की जांच रिपोर्ट से होती है। प्रथमदृष्टया प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः तमाम साक्ष्य सबूतों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को खेत ख.न. 939,968व 966 में आने–जाने के लिये वर्तमान में प्रचलित रास्ता ख. न. 2142/934 से लम्बाई 192 मीटर चौडाई 05 मीटर, ख.न. 2151/938 से लम्बाई 144 मीटर चौडाई 05 मीटर एवं ख.न. 934 एवं 2158/938 के मध्य 18 मीटर लम्बाई एवं 05 मीटर चौडाई तक जो तहसीलदार मण्डावा की मौका रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शानुसार दर्शित है,को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार मण्डावा को निर्देशित किया जाता है कि रास्ते में आने वाली भूमि की डी.एल.सी. की दोगुना दर से राशि आवेदक से वसूल कर अनावेदकगण को दी जावे। यदि मौके पर वर्तमान में प्रचलित रास्ते के संबंध में संबंधित खातेदारान द्वारा राशि नहीं चाहे जाने बाबत लिखित सहमती प्रदान की जावे तो प्रचलित रास्ते की राशि नहीं ली जावे। तदनुसार राशि जमा होने पर रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा